डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, शनिवार , दिनांक 3 नवम्बर 2001—कार्तिक 12, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-383/2001/वा.क./पांच (61).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 2 के उप-नियम (1) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत: स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(कक) 'नाम-निर्दिष्ट अधिकारी' से अभिप्रेत उस अधिकारी से जो धारा 3-क के अधीन नामांकित किया जाय"

नियम 11 के उप-नियम (1) में शब्द तथा अंक "उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें नियम 11-कक लागू होता है" विलोपित किया जाय.

नियम 11-कक के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

"11-कक मोटरयान का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के संदर्भ में प्रवेश कर का भुगतान, विवरणियां प्रस्तुत की जाना तथा कर निर्धारण—

(1) धारा-3 क के अधीन अपेक्षित विवरणी प्ररूप सात-ग में प्रस्तुत की जावेगी विवरणी उस वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि आयुक्त आदेश जारी कर निर्देशित करें.

(2) मोटरयान का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराये जाने के दिनांक के लिये, यान का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराने के 15 दिन के भीतर अथवा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व जो भी पूर्वोत्तर हो, विवरणी प्रस्तुत की जाएगी.

(3) प्रत्येक विवरणी के साथ कर के भुगतान के संबंध में प्ररुप नौ में कोषालय का रसीदी चालान संलग्न किया जायेगा. यदि कोई व्यक्ति विहित अवधि में विवरणी प्रस्तुत नहीं करता अथवा देयकर का भुगतान नहीं करता है तो वह व्यक्ति कर की राशि के साथ-साथ विहित दर से ब्याज की राशि का भी भुगतान करेगा.

(4) यदि किसी व्यक्ति ने विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और/अथवा देयकर या ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया है, तो संबंधित कर निर्धारक अधिकारी प्ररुप सात-घ में उस पर नोटिस निर्वाह कराकर तत्काल विवरणी प्रस्तुत करने अथवा देय राशि का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा.

(5) (क) कर निर्धारण के लिए सूचना-पत्र का प्ररुप दस-ग में जारी होगा और इस निमित्त नियत की गई तारीख सामान्यत: सूचना की तामील की तारीख से 15 दिन के पूर्व की नहीं होगी.

(ख) कर निर्धारण आदेश सामान्यत: प्रारूप दस-घ में जारी होगा.

(ग) कर निर्धारण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रारूप दस-ङ में मांग-पत्र के साथ बिना किसी शुल्क के साथ दी जायेगी.

(6) नाम-निर्दिष्ट अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म दस-घ में जारी आदेश की प्रति कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति द्वारा कर और/अथवा ब्याज की राशि का भुगतान कर दिया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी नाम-निर्दिष्ट अधिकारी को कर और/ब्याज की राशि के भुगतान न होने की सूचना दी जा सकेगी. यदि व्यक्ति द्वारा कर और/अथवा ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो नाम-निर्दिष्ट अधिकारी यान को तत्काल परिबद्ध कर सकेगा.''

4. प्ररुप सात-ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंत: स्थापित किये जाये, अर्थात्,—

प्रारूप सात-ग

धारा 3-क के अधीन मोटरयान पर प्रवेश कर के भुगतान की विवरणी

[देखे नियम 11-कक (1)]

व्यक्ति का नाम और पता ....

वाणिज्यिक कर का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (यदि कोई हो) ....

एक.	स्थानीय क्षेत्र में लाये गये मोटरयान की विगत	यान का प्रकार	माडल	इंजन क्रमांक	चेसिस क्रमांक	पंजीयन क्रमांक (राशि रु. में)
		....	....	....	....	....

दो. (एक) मोटरयान का क्रय मूल्य

(दो) यान में फिट किए गये उपसाधनों का मूल्य

(तीन) बीमा

(चार) उत्पाद शुल्क

(पांच) वाणिज्यिक कर

(छः) परिवहन व्यय

(सात) पेकिंग व्यय

(आठ) अन्य शुल्क जो माल के क्रय के संदर्भ में व्यय का भुगतान किया गया.

तीन. कुल क्रय मूल्य [(एक) से (आठ)]

चार. क्रय मूल्य पर देयकर

पांच. ब्याज, यदि कोई देय है.

छः कुल देय राशि (चार + पांच)

सात. भुगतान की गई राशि चालान क्रमांक तथा दिनांक

आठ. शेष यदि कोई हो.

उपरोक्त कथन मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं.

स्थान . . . .

हस्ताक्षर तथा पद

दिनांक . . . .

प्रारूप सात-घ

सूचना

[नियम 11-कक (4) देखें]

प्रति,

. . . .

. . . .

. . . .

वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (यदि कोई हो) . . . .

चूंकि मोटरयान, जिसके विवरण नीचे दिए गये हैं, के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के संदर्भ में आपके द्वारा धारा 3-क की उपधारा (3) में की गई अपेक्षा अनुसार आपने विवरणी प्रस्तुत करने में और/अथवा कर और/अथवा ब्याज के भुगतान करने में चूक की गई है और चूंकि कर और/अथवा ब्याज की देय राशि में संदर्भ में भुगतान की जाने वाली राशि की संगणना अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा रुपये . . . .(शब्दों में) . . . . .की गई है;

अतएव, आपको आदेश दिया जाता है कि आप ब्याज की राशि के साथ रु. (शब्दों में) रु. . . . . की राशि शासकीय कोषालय में इस सूचना की प्राप्ति के सात दिन के अवसान के पूर्व भुगतान कर दें और भुगतान के प्रमाण में रसीद निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करें. शेष रहने पर उक्त रकम आप से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली की जाएगी.

कृपया यह भी ध्यान रखें कि उक्त राशि का भुगतान न करने की दशा में, नाम-निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कर और/अथवा ब्याज की देय राशि का पूर्ण भुगतान न होने तक यान को परिबद्ध रखा जा सकेगा.

यान का प्रकार . . . .
माडल . . . .
इंजन नम्बर . . . .
चेसिस नम्बर . . . .
मुद्रा

. . . .

स्थान . . . . हस्ताक्षर
दिनांक . . . . कर निर्धारण अधिकारी

प्रतिलिपि "नाम-निर्दिष्ट अधिकारी" की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

5. प्रारूप दस-ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंत: स्थापित किये जाय, अर्थात,—

प्रारूप दस-ग

सूचना

[नियम 11-कक (5) (क) देखें]

प्रति,

. . . . ,

. . . .

. . . .

वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (यदि हो) . . . .

चूंकि मैं, मोटरयान के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के संदर्भ में, जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी की सत्यता एवं पूर्णता के बारे में अपना समाधान करना चाहता हूं.

और, चूंकि मोटरयान की स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराने, जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं और जिसके संदर्भ में आप छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन कर दायी हैं के पश्चात् उस यान के संदर्भ में आपने विहित दिनांक तक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है.

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप (स्थान) . . . .(समय) . . . .(तारीख) . . . . पर विवरणी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें या प्रस्तुत करवायें और निम्नलिखित और दस्तावेज प्रस्तुत करें या करवायें :—

. . . .
. . . .

और निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें या करवायें :—

. . . .

और यह भी कारण दर्शायें कि उक्त अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (4) के अधीन आप पर ब्याज क्यों न निरूपित किया जाये—

यान का प्रकार . . . .

माडल . . . .

इंजन क्रमांक . . . .

चेसिस क्रमांक . . . .

मुद्रा

. . . .

हस्ताक्षर

कर निर्धारण अधिकारी

स्थान . . . .

दिनांक . . . .

प्रारूप दस-घ

कर निर्धारण आदेश

[नियम 11-कक (5) (ख) देखें]

व्यक्ति का नाम और पता . . . .

वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (यदि हो) . . . .

एक. मोटरयान की विगत	वाहन का प्रकार	माडल	इंजन क्रमांक	चेसिस क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	विवरणी अनुसार (रुपये)	अवधारित किये गये अनुसार (रु.)

दो. (एक) मोटरयान का क्रय मूल्य

(दो) यान में फिट किए गये उपसाधनों का मूल्य

(तीन) बीमा

(चार) उत्पाद शुल्क

(पांच) वाणिज्यिक कर

(छः) परिवहन व्यय

(सात) पेकिंग खर्च

(आठ) अन्य कोई शुल्क जो माल के क्रय के संदर्भ में व्यय या भुगतान किया गया.

तीन. कुल क्रय मूल्य [(एक) से (आठ)]

चार. देयकर

पांच. धारा 3-क (4) के अधीन ब्याज जोड़ें

छः. कुल देय कर और ब्याज

सात. घटाइये-

(क) विवरणी के साथ जमा राशि

(ख) वापसी समायोजन आदेश

क्रमांक . . . . .दिनांक . . . .

के अनुसार समायोजित राशि

(ग) अग्रिम भुगतान, यदि हो

जमा की गई राशि का विवरण

. . . .

चालान क्रमांक	दिनांक	राशि

आठ. शेष राशि/वापसी की राशि (यदि हो)

स्थान . . . . हस्ताक्षर . . . .

दिनांक . . . . पदनाम . . . .

मुद्रा

प्रारूप दस-ङ

मांग की सूचना

[नियम 11-कक (5) (ग) देखें]

प्रति,

. . . .

. . . .

. . . .

वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (यदि कोई हो) . . . .

चूंकि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (5) के अन्तर्गत मोटरयान, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा, देय कर रु. . . . . (शब्दों में) . . . . निर्धारित किया गया है और/अथवा ब्याज की राशि रु. . . . . (शब्दों में) . . . . निरुपित की गई है और आपके द्वारा विवरणी के साथ और/या अन्यथा रूप से जमा की गई राशि रु. . . . .(शब्दों में) . . . . है. इस प्रकार कर निर्धारण के अनुसार अतिशेष राशि रु. . . . . (शब्दों में) . . . . आपके द्वारा भुगतान योग्य है.

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप रु. . . . . (अंको में)रु. . . . .(शब्दों में) शासकीय कोषालय . . . . में तारीख . . . . .को या उसके पूर्व भुगतान कर दें, और भुगतान के प्रमाण में मेरे समक्ष रसीद चालान की प्रति प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर . . . . रु. (शब्दों में) . . . . की उक्त रकम आपसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी.

यान का प्रकार . . . .
माडल . . . .
इंजन क्रमांक .. . .
चेसिस क्रमांक . . . .

मुद्रा

. . . .
हस्ताक्षर
कर निर्धारण अधिकारी

स्थान . . . .
तारीख . . . .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2001

क्रमांक एफ-10-383/2001/वा. क./पांच (61).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-383/2001/वा. क./पांच (61), दिनांक 3 नवम्बर, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2001

NOTIFICATION

No. F-10-383/2001/C.T./V (61).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules—

1. In sub-rule (1) of rule 2 after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: —

"(aa) 'Designated Officer' means an officer designated to be the designated officer under section 3-A"

2. In sub-rule (a) of rule 11 the words and figures "other than a person to whom rule 11-AA applies" shall be omitted.

3. For rule 11-AA, the following rule shall be substituted, namely,—

"11-AA Payment of entry tax under section 3-A in respect of entry into a local area of motor vehicles, furnishing of returns and assessment—

(1) The return required to be furnished under section 3-A shall be in form VII-C. The return shall be furnished in the office of such commercial tax officer as the commissioner may by order, direct.

(2) The return shall be furnished for the day on which an entry of motor vehicle into a local area is effected, within 15 days from the entry of such vehicle into a local area or before an application is made for registration of the vehicle under the Motor Vehicle Act, 1988, which ever is earlier.

(3) Each return shall be accompanied by a treasury receipted challan in for IX in respect of the payment of tax made. If the person fails to file the return or pay the tax due within the prescribed time, such person shall, along with the amount of tax, pay the interest at the prescribed rate.

(4) Where a person has not furnished the return and or has not paid the tax or the interest, the concerned assessing officer may by notice in form VII-D served on him require him to file the return or pay the amount due from him forthwith.

(5) (a) The notice for assessment shall be in form X-C and the date fixed for compliance therewith shall not be ordinarily earlier than 15 days from the date of service thereof.

(b) The order of assessment shall ordinarily be in form X-D.

(c) A certified copy of an order of assessment shall be furnished to the assesee free of charge along with the notice of demand in form X-E.

(6) The designated officer shall ascertain that the person has paid the amount of tax and/or interest in full by obtaining from the assessing authority a copy of the order in form X-D issued by the assessing authority to the person. The assessing authority may also inform the designated officer about the non payment of the tax and/or interest. If the person has not paid the tax and/or interest, the designated officer shall impound the vehicle forthwith."

4. After form VII-B, the following forms shall be inserted, namely,—

FORM VII-C

Return of entry tax payable on the entry of motor vehicle under section 3-A

[See rule11-AA (I)]

Name and address of the person..

Registration No. under Vanijyik Kar Adhiniyam (if any)..

I.	Details of Motor vehicle bought in to the local area	Type of vehicle	Model	Engine No.	Chassis No.	Registration No.
		....	....	....	....	....

Amount Rs.

....

II. (i) purchase value of the motor vehicles
(ii) price of accessories fitted to the vehicle
(iii) insurance
(iv) excise duty
(v) commercial tax
(vi) transport charges
(vii) cost of packing
(viii) any other charges if incurred or paid in respect of goods purchased.

III. Total purchase value [(i) to (viii)]
IV. Tax payable on the purchase value
V. Interest, if any payable
VI. Total amount payable (IV plus V)
VII. Amount paid, with Challan No. and date
VIII. Balance, if any

The above statement is true to the best of my knowledge and belief.

Place ....

Date ....
Signature and Status

FORM VII-D
Notice
[See rule 11-AA (4)]

To,
....
....
....

MPCT R.C. No. (if held) ....

Whereas you have failed to furnish the return as required by sub-section (3) of Section 3-A and/or have failed to pay the tax and/or interest in respect of the entry of the motor vehicle into a local area details of which are given below;

And, whereas, the amount of tax payable has been computed by the undersigned at Rs.. (in words) Rs..on account of the tax and/or interest payable;

Now, therefore, you are hereby directed to pay the sum of Rs. ....(in words) Rs. ....into the Government Treasury before the expiry of 7 days after the receipt of the notice along with the interest and to produce the receipt in proof of the payment before the undersigned, failing which the said sum shall be recovered from you as the arrear of land revenue.

Please take note that if you fail to pay the amount aforesaid, the designated officer will impound the vehicle till the amount of tax and/or interest due and payable is paid in full.

Type of vehicle...
Model...
Engine No. ....
Chassis No. ....
Seal...

Place ....

Signature.....................
Assessing authority

Date ....

Copy to designated officer for necessary action.

5. After form X-B the following forms shall be inserted, namely,—

FORM X-C

Notice

[See rule 11-AA 5 (a)]

To,

....

....

....

MPCT R.C. No.(if held) ....

Whereas I, desire to satisfy myself that the return furnished by you in respect of the entry of the motor vehicle. details of which have been given below, is correct and complete.

And, whereas having effected entry of motor vehicle into the local area, details of which have been given below. in respect of which you are liable to pay tax under the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam. you have not furnished by the prescribed date return in respect of the said vehicle.

You are hereby directed to attend at....................................(place) at.............................(time) on.......................... (date) to produce or cause to be produced any evidence on which you rely in support of the said return and at the same time to produce or cause to be produced the following documents and accounts :—

....

....

and furnish or cause to furnish the following information :—

....

also to show cause as to why interest under sub-section (4) of section 3-A of the said Adhiniyam should not be imposed on you.

Type of vehicle..
Model..
Engine No. ....
Chassis No. ....
Seal...

Place ....

Date ....

Signature.....................
Assessing authority

FORM X-D

Order of Assessment

[See rule 11-AA (5) (b)]

Name and address of the person...

MPCT R. C. No. (if held)...

I.	Details of the Motor vehicle	Type of vehicle	Model	Engine No.	Chassis No.	Registration No.	As per return Rs.	As determined Rs.

II. (i) purchase value of the motor vehicles
(ii) price of accessories fitted to the vehicle
(iii) Insurance
(iv) excise duty
(v) commercial tax
(vi) transport charges
(vii) cost of packing
(viii) any other charges if incurred or paid in respect of goods purchased.

III. Total purchase value [(i) to (viii))]

IV. Tax payable

V. Add interest under section 3-A (4)

VI. Total tax and interest payable

VII Deduct

(a) amount paid with return

(b) amount credited under refund adjustment order No. ....Date. ....

(c) Advance payment, if any.

Details of payment made

....

Challan No.	Date	Amount Rs.

VIII. Balance amount due/refund (if any)

Place....................................

Date......................................

Seal......................................

Signature..................................

Designation..............................

FORM X-E

Notice of demand

[See rule 11-AA (5) (c)]

To,

....

....

....

MPCT R.C. No. (if held) ....

Whereas the amount of tax payable by you in respect of the vehicle details of which have been given below, has been determined by the undersigned under sub-section (5) of section 3-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam on entry of motor vehicles into local area at Rs. ....and/or interest of Rs. .... has been imposed and the amount paid by you with returns and/or otherwise than with returns is Rs. ....Thus, the balance amount of Rs. ....is payable by you according to the assessment made.

You are hereby directed to pay the sum of Rs. ....(in figrues) Rs. .... (in words) in to the Government Treasury at..................................on or before (date)............................and to produce receipted copy of the challan in proof of payment before me failing which the said sum of Rs. ....will be recoverable from you as arrears of land revenue.

Seal..

Place..

Signature.......................................

Date. ....

Assessing authority.........................

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.